

न्यायालय : न्यायनिर्णयन अधिकारी एवं अति० जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन) श्रीगंगानगर
पीठासीन अधिकारी : अरविन्द कुमार जाखड़, आर.ए.एस.
न्याय निर्णयन आवेदन सं० 10/2024

श्री हंसराज गोदारा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यलय अभिहित अधिकारी, (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर।

बनाम

1. श्री उमेश कुमार पुत्र श्री मंगलाराम जी
2. श्री मंगलाराम पुत्र श्री भगाना राम

– दूध विक्रेता –
–मालिक–

गैसर्स – दूध विक्रेता, वीपीओ नेतेवाला, श्रीगंगानगर।



अपराध अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा
एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26(2)(ii)/51


निर्णय

दिनांक : 23.02.2024

सक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि परिवादी श्री हंसराज गोदारा खाद्य सुरक्षा अधिकारी, का गजट नोटिफिकेशन दिनांक 02.12.2022 के गजट में भाग 1(ख) पर प्रकाशित हुआ है एवं परिवादी का पदस्थापन एवं कार्य क्षेत्र का आवंटन आयुक्त (खाद्य सुरक्षा) निदेशालय राज. जयपुर के आदेश क्रमांक:-एफएसएसए/2022/6235 दिनांक 22.12.2022 के अनुसार जिला श्रीगंगानगर किया गया एवं संसोधित आदेश क्रमांक:- आयुक्ता०/खासुऔनि/संस्था/2022/6360 दिनांक 26.12.2022 है। अधिसूचना एवं आदेश की फोटो प्रतियां न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ सलंगन है।

श्री हंसराज गोदारा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 30.08.2023 को दोपहर पूर्व 10.00 ए.एम. को मै० दूध विक्रेता, वीपीओ नेतेवाला, तहसील व जिला श्रीगंगानगर पर पहुंचा। मौके पर दूध विक्रेता उमेश कुमार पुत्र श्री मंगलाराम वीपीओ नेतेवाला मोटरसाईकिल पर तीन कैन में दूध ले जा रहा था। जिसमें से एक कैन में 12 लीटर गाय का दूध मौजूद था। गाय के दूध के बारे में जानकारी चाही गई तो उमेश कुमार पुत्र श्री मंगलाराम दूध विक्रेता ने गाय का दूध आमजन को विक्रय हेतु ले जाना बताया। जिसमें में मिलावट का शक होने पर विक्रेता से नमूना जांच वास्ते गाय का दूध का नमूना लेने वास्ते विक्रेता को फार्म नम्बर 5 ए भरकर देते हुए वरवक्त मौके पर ही विक्रेता को फार्म नम्बर 5 ए भरकर दिया जिस पर विक्रेता व गवाहान के व मैने हस्ताक्षर किये। फार्म नम्बर 5 ए न्याय निर्णयन के साथ सलंगन है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर फार्म नम्बर 5 ए की प्रतियां तैयार कर विक्रेता एवं मालिक तथा गवाहान को पढकर सुनाकर एवं समझकर हस्ताक्षर करने को कहा जिसे उमेश कुमार पुत्र श्री मंगलाराम एवं गवाहान ने भी पढकर समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये। स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर किये। फार्म से 5 ए की एक प्रति विक्रेता एवं मालिक उमेश कुमार पुत्र श्री मंगलाराम को देकर असल पर रसीद प्राप्त की।


अति.जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा मोटरसाईकिल का निरीक्षण कर आम जनता को विक्रय हेतु उपलब्ध गाय का दूध में से 2 लीटर गाय का दूध विक्रेता से खरीद किया। विक्रेता को मौके पर ही उक्त कथशुदा खाद्य पदार्थ गाय का दूध का नगद भुगतान 90/- रूपये किया तथा केशगीमो बनावाकर लिया जिस पर विक्रेता तथा गवाहान के हस्ताक्षर हैं और खाद्य सुरक्षा अधिकारी के भी हस्ताक्षर हैं।


आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा खाद्य पदार्थ गाय का दूध 2 लीटर को एकरूप कर बराबर भागों में बांटकर 4 बोतलों में भरकर लिया। प्रत्येक बोतल में फार्मलिन की 40 बूंदे डालकर कसकर ढक्कन बंद किये और चारों बोतलों पर लेबल तैयार कर चिपकाये और लेबलों पर डी.ओ. श्रीगंगानगर के कोड व क्रमांक के-1956 दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये एवं खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक तथा गवाहान के हस्ताक्षर कराये। चारों नमूना भागों को अलग-अलग खाकी कागज में लपेट कर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. श्रीगंगानगर की हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लिप के-1956 नियमानुसार चारों नमूना भागों पर नीचे से उपर तक गोलाई में गोंद से चिपकाकर प्रत्येक नमूना भाग को धागे से बांधकर नियमानुसार सील चपड़ी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर खाद्यकारोबारकर्ता एवं मालिक के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनों पर आये। चारों नमूना भागों के पेपर पर गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर कर सील बन्द चारों नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया।



मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार कर खाद्यकारोबारकर्ता एवं मालिक तथा गवाहान को पढकर, सुनाकर एवं समझकर हस्ताक्षर करने को कहा जिसे उमेश कुमार पुत्र श्री मंगलाराम एवं गवाहान ने भी पढकर, रामझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये। स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर किये।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने फार्म नं 06 की छः प्रतियां तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील मोहर किया। एक नमूना भाग मय फार्म सं. 06 की प्रति के आउटर कवर में सीलबन्द कर सील मोहर कर खाद्य विश्लेषक बीकानेर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की और दो फार्म सं. 06 की प्रति अलग से एक लिफाफे में बन्द कर चपड़ी से सील मोहर कर खाद्य विश्लेषक बीकानेर को जमा कराकर फार्म सं. 6 की पुस्त पर रसीद प्राप्त की एवं शेष दो सील बन्द नमूना भाग मय फार्म संख्या 6 की दो प्रतियों और चौथा भाग मय फार्म संख्या 6 की एक प्रति के आउटर कवर में सील बन्द कर डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की।

स्टेट सैन्ट्रल पब्लिक हेल्थ लैबोरेटरी, बीकानेर (राजस्थान) द्वारा जारी जांच रिपोर्ट क्रमांक :- L.S.1370/Act/2023/1370 Dated 13-09-2023 को प्राप्त हुई, जिसके अनुसार खाद्य नमूना K-1956 Sub-standard Food होना पाया गया। इस पर अभिहित अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर ने प्रकरण में अभियुक्त उमेश कुमार पुत्र श्री मंगलाराम मैसर्स दूध विक्रेता, वीपीओ नेतेवाला, तहसील व जिला श्रीगंगानगर द्वारा अमानक स्तर के गाय का दूध का विक्रय किये जाने को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा (ii)/51 के अन्तर्गत न्याय निर्णयन आवेदन दिनांक 31.01.2024 को प्रस्तुत किया गया।


अति.जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

परिवाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अभियुक्त को तलब किया गया। अभियुक्त को परिवाद की प्रति उपलब्ध कराई गई।

अभियुक्त ने जवाब नोटिस पेश कर अंकित किया कि प्रार्थी गांव नेतेवाला तहसील वा जिला श्रीगंगानगर का रहने वाला है तथा प्रार्थी की फर्म मैसर्स दूध विक्रेता गांव नेतेवाला तहसील वा जिला श्रीगंगानगर का मालिक है तथा प्रार्थी को आपके विभाग द्वारा एक नोटिस आपके पत्र क्रमांक 24/184 दिनांक 05.02.2024 का दिया है कि आपकी दुकान में दूध की जांच की गई तो दूध Sub-standard Food पाया गया है। प्रार्थी ने उक्त दूध में सुधार कर लिया है भविष्य में प्रार्थी ऐसी गलती दौबारा नहीं करेगा, प्रार्थी के साथ नरमी का रूख अपनाते हुए प्रार्थी के वाद का आज ही निस्तारण किया जावे। लिहाजा प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर अपना जुर्म स्वीकार करता है। प्रार्थी के साथ नरमी का रूख अपनाते हुये प्रार्थी के वाद का आज ही निस्तारण किया जावे। आपकी अति कृपा होगी।

परिवाद पर दोनों पक्षों को सुना गया।

राज पैरोकार ने अपनी बहस में बताया कि अभियुक्त से लिया गया गाय का दूध का सैम्पल K-1956 जांच रिपोर्ट क्रमांक :-L.S.1370/Act/2023/1370 Dated 13-09-2023 द्वारा Sub-standard Food होना पाया गया है। अतः अभियुक्त के खिलाफ खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा (2)(ii) का उल्लंघन किया है जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 में निर्धारित है।

अप्रार्थी ने अपनी बहस में कथन किया कि प्रार्थी को आपके विभाग द्वारा एक नोटिस आपके पत्र क्रमांक 24/184 दिनांक 05.02.2024 का दिया है कि आप द्वारा विक्रय हेतु उपलब्ध दूध की जांच की गई तो दूध Sub-standard Food पाया गया है। प्रार्थी ने उक्त दूध में सुधार कर लिया है भविष्य में प्रार्थी ऐसी गलती दौबारा नहीं करेगा, प्रार्थी के साथ नरमी का रूख अपनाते हुए प्रार्थी के वाद का आज ही निस्तारण किया जावे। प्रार्थी लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर अपना जुर्म स्वीकार करता है। प्रार्थी के साथ नरमी का रूख अपनाते हुये प्रार्थी के वाद का आज ही निस्तारण किया जावे। आपकी अति कृपा होगी।

बहस पर मन्च किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

इस प्रकार अभियुक्त से लिया गया Sample of "Cow Milk " bearing Code No and Sr. No. K-1956, of Designated Officer cum Chief Medical & Health Officer, Sri Ganganagar is Sub-Standard Food as it does not conform to the prescribed standard of Food Safety and standards(Food Products Standards and Food Additive) Regulation, 2011. की जांच रिपोर्ट पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं है।

फलस्वरूप अभियुक्त उमेश कुमार पुत्र श्री मंगलाराम को एफएसएस एक्ट 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा (ii) के अन्तर्गत घटित अपराध का दोषी पाया जाता है। फलतः अभियुक्त उमेश कुमार पुत्र श्री मंगलाराम को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 के अन्तर्गत राशि रुपये 20,000-00 (अखरे रुपये बीस हजार मात्र) के आर्थिक दण्ड से दण्डित किया जाता है।

मति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

ऑन लाईन नं.GCMS2024/12

अभियुक्त को यह निर्देश दिये जाते हैं कि भविष्य में ओमप्रकाश उमेश कुमार पुत्र श्री मंगलाराम खाद्य पदार्थ में डालने के लिए उच्च गुणवत्ता के घटकों का इस्तेमाल करें, ताकि ऐसे खाद्य पदार्थों से उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। इन आदेशों की पालना सखी से की जावे। निर्णय की प्रति मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को पालनार्थ भेजी जावे।

निर्णय आज दिनांक 23.02.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(अरविन्द कुमार जाखड़)
न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (प्रशा.)
श्रीगगनपुर (राज.)
श्रीगगनपुर